

Roll No.

FM-2103

Corporate Laws

(निगमीय सन्नियम)

Bachelor of Business Administration

(MBAH-11/MBA-13/12/10)

Third Semester, Examination, 2017

Time : 3 Hours

Max. Marks : 60

Note : This paper is of **sixty (60)** marks containing **three (03)** sections A, B and C. Learners are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र साठ (60) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Section-A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'A' contains four (04) long answer type questions of fifteen (15) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए पन्द्रह (15) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Define a Public Company. Describe the procedure for converting a public company into a Private Company.

सार्वजनिक कम्पनी को परिभाषित कीजिए। सार्वजनिक कम्पनी को निजी कम्पनी में परिवर्तित करने की विधि का वर्णन कीजिए।

2. Who is a company promoter ? Explain the functions of a company's promoter and also discuss his/her relationship with the company promoted by him/her.

कम्पनी प्रवर्तक कौन होते हैं ? कम्पनी प्रवर्तक के कार्यों की व्याख्या कीजिए तथा उसके द्वारा निर्मित कम्पनी तथा उसके मध्य पाए जाने वाले सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए।

3. Who are the directors of a Company ? How are they appointed ? Explain the rules regarding the number of directors and directorship.

कम्पनी के निदेशक कौन होते हैं ? उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है ? निदेशक तथा निदेशक-पदों की संख्या से सम्बन्धित नियमों की व्याख्या कीजिए।

4. Define the structure of exchange control under FEMA. State how the foreign investor can invest in India through the portfolio investment scheme.

फेमा के तहत विदेशी मुद्रा नियन्त्रण की संरचना को परिभाषित कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि कैसे विदेशी निवेशक पोर्टफोलियो/संविभाग निवेश योजना के माध्यम से भारत में निवेश कर सकते हैं।

Section-B / खण्ड-ख**(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)**

Note : Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of five (05) marks each. Learners are required to answer *four* (04) questions only. Answer of these questions must be restricted to two hundred fifty (250) words approximately.

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच (05) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दो सौ पचास (250) शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

Briefly discuss any *four* (04) of the following :

निम्नलिखित में से किन्हीं चार (04) पर संक्षेप में चर्चा कीजिए :

1. Special provisions Relating to a Foreign Company.
विदेशी कम्पनी से सम्बन्धित विशेष नियम।
2. Steps that need to be Taken Before a Company can commence its Business.
व्यापार प्रारम्भ करने से पहले कम्पनी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही।
3. Particulars required to be included in a Prospectus.
प्रविवरण में शामिल होने वाले आवश्यक विवरण।

4. Restrictions imposed on the borrowings powers of a company.
एक कम्पनी के ऋण लेने के अधिकारों पर लगाए जाने वाले प्रतिबन्ध ।
5. Consequences of Mis-statement and Fraudulent Statement in a Prospectus.
प्रविवरण में मिथ्याकथन तथा कपटमय विवरण के परिणाम ।
6. Guidelines for the issue of Bonus Shares.
बोनस अंश निर्गमन सम्बन्धी दिशानिर्देश ।
7. Write short notes on the following :
 (a) Shelf Prospectus (Section 60A)
 (b) Managing Director
 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :
 (अ) शेल्फ प्रविवरण (धारा 60A)
 (ब) प्रबन्धन संचालक
8. Distinguish between Memorandum of Association and Articles of Association.
पार्षद सीमानियम और पार्षद अन्तर्नियम में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

Section-C / खण्ड-ग

(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

Note : Section 'C' contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this section are compulsory.

नोट : खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Fill in the blanks with appropriate words or phrases :

उचित शब्द या वाक्यांश के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. The rules framed for the internal management of the affairs of the company are termed as
कम्पनी के आन्तरिक प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों के लिए जो नियम बनाए जाते हैं कहलाते हैं।
2. While the doctrine of "Constructive Notice" seeks to protect the company against the outsiders, the principal of "....." operates to protect the outsiders against the company.
"रचनात्मक सूचना" का सिद्धान्त को बाहरी लोगों से सुरक्षा प्रदान करता है जबकि बाहरी लोगों को कम्पनी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है।
3. Every company shall issue share certificates within months of the date of allotment.
प्रत्येक कम्पनी को आबंटन की तिथि के माह के भीतर अंश प्रमाण-पत्र जारी कर देने चाहिए।
4. Share premium received by issuing shares can be used for
अंश निर्गमित कर प्राप्त किये गए अंश प्रीमियम का उपयोग के लिए किया जा सकता है।

5. A public company cannot borrow money until it is entitled to

एक सार्वजनिक कम्पनी तब तक धन उधार नहीं ले सकती है जब तक के लिए अधिकृत न हो।

State True or False :

सत्य या असत्य बताइये :

6. More than 60 percent of number of shares of another company is held by the holding company.

एक नियन्त्रक कम्पनी वह है, जिसके पास दूसरी कम्पनी के अंशों की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक होती है।

7. Ordinary resolution is required to transfer the registered office of the company from one state to another state.

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तान्तरित करने के लिए साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।

8. A share certificate is required to be signed by company secretary only.

एक अंश प्रमाण-पत्र केवल कम्पनी सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

9. Reserve Bank of India is an example of Government Company.

भारतीय रिजर्व बैंक एक सरकारी कम्पनी का उदाहरण है।

10. The directors appointed by principle of proportional representation hold office for three years and cannot be removed by the company in general meeting u/s 284.

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त द्वारा नियुक्त निदेशक तीन वर्षों के लिए अधिकृत रहता है तथा इन्हें धारा 284 के तहत आम बैठक में कम्पनी द्वारा हटाया नहीं जा सकता।